



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 21 सितम्बर, 1983

भाद्रपद 30, 1905 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2717/सत्रह-वि-1-1(क)-18-1983

लखनऊ, 21 सितम्बर, 1983

### अधिसूचना

#### विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983 पर दिनांक 20 सितम्बर, 1983 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण की सूच्यार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, सन् 1983)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतः संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चाँतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ

(2) यह 28 जून, 1983 को प्रयुक्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या  
11 सन् 1966  
की धारा 29 का  
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (6) में, उसके प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून, 1983" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1984" रख दिये जायेंगे।

धारा 35 का  
संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून, 1983" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1984" रख दिये जायेंगे।

निरसन और  
अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1983 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

अज्ञा से,  
गंगा बक्ष सिंह,  
सचिव।

No. 2717(2)/XVII-V-1-1(Ka)-18-1983

Dated Lucknow, September 21, 1983

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samiti (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 1983) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 20, 1983.

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 1983

[U. P. ACT NO. 19 OF 1983]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965

It IS HEREBY enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 1983.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 28, 1983.

Amendment of section 29 of U. P. Act no. XI of 1966.

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (6), in the first proviso thereto, for the word and figures "June 30, 1983" the word and figures "June 30, 1984" shall be substituted.

Amendment of section 35.

3. In section 35 of the principal Act, in sub-section (6), in the proviso, for the word and figures "June 30, 1983" the word and figures "June 30, 1984" shall be substituted.

Repeal and Savings.

4. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1983, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of the Act were in force at all material times.

By order,  
G. B. SINGH,  
Sachiv.